

प्रेषक,

पंकज कुमार,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ कमिशनर,  
वाणिज्य कर,  
उ० प्र०, लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनु०-२

लखनऊःदिनांक ०४ मार्च, 2017

विषय:- हृदय रोग के उपचार में प्रयोग होने वाले कोनेरी स्टेन्ट (Coronary stent) की निर्धारित मूल्य पर उम्मलब्धता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक डा० अनिता भटनागर जैन, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-१ उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-453/7-1-2017-जी०-३०/2017 दिनांक ०२-०३-२०१७ की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस संबंध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:: यथोक्त।

✓  
एडी० काठ० (इ) / एडी० काश्यम० / एडी० काश्यम० (सिद्ध)

भवदीय,

( पंकज कुमार )  
संयुक्त सचिव।

S50-1

16-03-2017

4553

16-3-2017

5606  
16-3-17ए०१५८/  
डैलाइक्स/फ्लैप्टल

200

ACCT (A)  
16-3-17

AP.GO 2017

Notice board पर 11 फूट  
इलम है ??

ग्रु

Email

244] 11-2-17

महत्वपूर्ण

संख्या—453 / 71-1-2017-जी-30/2017

प्रेषक,

डा० अनिता भट्टनागर जैन,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- (1) महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उ०प्र०, लखनऊ।
- (3) कुलपति,  
उ०प्र० ग्रामीण आर्युविज्ञान संस्थान,  
सैफर्ई, इटावा।
- (5) निदेशक,  
डा० राम मनोहर लोहिया, इंस्टीट्यूट  
आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।
- (7) समस्त प्रधानाचार्य,  
राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज,  
उ०प्र०।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—1

विषय:— हृदय रोग के उपचार में प्रयोग होने वाले कोनेरी स्टेन्ट (Coronary stent) की निर्धारित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

195...../अ०प्र० का/2017 उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 16.02.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा यह अवगत कराया है कि हृदय रोग के उपचार में प्रयोग होने वाले कोनेरी स्टेन्ट का मूल्य निर्धारण दिनांक 14.02.2017 से लागू किया गया है। बेयर मेटल स्टेन्ट (बी०एम०एस०), जिसका औसत विक्रय मूल्य रु० 45,000/- है, को घटाकर रु० 7,623/- और ड्रग इल्यूटिंग स्टेन्ट (डी०ई०एस०), जिसका औसत विक्रय मूल्य रु० 41,000/- है, को घटाकर रु० 31,080/- कर दिया गया है।

अपर मुख्य राज्य कर, मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश शासन प्राधिकरण के पत्र दिनांक 16.02.2017 द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार हृदय रोग के उपचार में

प्रयोग होने वाले उक्त कोनेरी स्टेन्ट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

( डा० अनिता भट्टनागर जैन )  
अपर मुख्य सचिव।

विषेष कार्याधिकारी  
उत्तर प्रदेश शासन  
वित कर एवं निवन्धन विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 453 (1) / 71-1-2017, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, व्यापार कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उनके पत्र संख्या-जी0आई0-04/पॉच-1-2017, दिनांक 20.02.2017 के कम में।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
5. खाद्य एवं औषधि नियंत्रक, उ0प्र0 लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आङ्गा से,

( जयवीर सिंह )

अनु सचिव।